-प्रेस नोट-

दिनांकः 06-12-2025

! सहारनपुर पुलिस द्वारा — टेक्नोलॉजी का शानदार उपयोग !
सर्विलांस सेल, सहारनपुर ने "CEIR PORTAL" के माध्यम से 180 मोबाइल रिकवर किए — अनुमानित कीमत करीब ₹40 लाख रूपये

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा **Dept. Of Telecomm Ministry Of Communications, Govt. Of India** के द्वारा विकसित किये गये **CEIR पोर्टल** को संचालित कराने हेतु प्रत्येक थाने पर टीम बनाकर वरिष्ठ उप निरीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त कर थाने पर प्राप्त होने वाली मिसिंग मोबाइल की एप्लीकेशन सीईआईआर पोर्टल पर अपलोड कराने व बरामद कराने हेतु आदेशित किया गया था।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में **पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर एवं पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर** के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी क्राइम श्री शैलेन्द्र प्रताप गौतम व सर्विलांस सेल प्रभारी श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में भिन्न-भिन्न तिथियों में गुम हुए मोबाइल फोन के सम्बन्ध में, प्राप्त प्रार्थना पत्रों में गुम हुए मोबाइल फोन को जनपद सहारनपुर के समस्त थानों पर संचालित CEIR PORTAL पर अपलोड़ कराकर तत्परता से कार्यवाही करते हुए थानो पर गठित टीमों द्वारा गुमशुदा कुल 180 मोबाइल फोन बरामद किये, **जिनकी अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रूपये** है। बरामद किये गये मोबाइल फोन को उनके मालिक/स्वामी को सुपुर्द किये गये। मोबाइल मालिको द्वारा अपने खोये हुए मोबाइल फोन वापस पाकर सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

बरामद कुल 180 मोबाइल फोन का विवरणः-

- 49 मोबाइल फोन RedMe/Realme कम्पनी
- 30 मोबाइल फोन Samsung कम्पनी
- 30 मोबाइल फोन Vivo कम्पनी
- 34 मोबाइल फोन Oppo कम्पनी
- 08 मोबाइल फोन Motorola कम्पनी
- 08 मोबाइल फोन OnePlus कम्पनी
- 21 मोबाइल फोन Techno/Poco कम्पनी

बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1- क्षेत्राधिकारी क्राइम श्री शैलेन्द्र प्रताप गौतम जनपद सहारनपुर
2- निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी प्रभारी सर्विलांस
3- है0का0 सोनू शर्मा सर्विलांस टीम सहारनपुर।
4- है0का0 आकाश नेहरा सर्विलांस टीम सहारनपुर।
5- है0का0 नितिन त्यागी सर्विलांस टीम सहारनपुर।
6- है0का0 मोहित कुमार सर्विलांस टीम सहारनपुर।
7- का0 जयवीर राठी सर्विलांस टीम सहारनपुर।
8- का0 ललित कुमार सर्विलांस टीम सहारनपुर।
9- समस्त थानों की CEIR PORTAL टीमे

-प्रेस नोट-

दिनांक 06-12-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-3 जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मुकदमें में 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 01 लाख 83 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा –

अवगत कराना है, कि दिनांक 18.08.2012 को वादी गुलजार पुत्र बाबू हसन निवासी खेडामुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.नौशाद पुत्र महमूद हसन, 2. शौकीन पुत्र महमूद हसन व 3. सलीम पुत्र सरीफ नि0गण खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के भाईयो को जान से मारने की नियत से मारपीट कर गम्भीर चोट पहुचॉना एवं इलाज के दौरान भूरा की मृत्यु हो जाने की सूचना पर मु0अ0स0-423/2012 धारा 147,148,452,323,149,302,307,504,506 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-193/2012 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-3 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 06.12.25 को अभियुक्तगण 1. नौशाद पुत्र महमूद हसन, 2. शौकीन पुत्र महमूद हसन व 3. सलीम पुत्र सरीफ समस्त निवासीगण खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0-423/2012 धारा 147,148,452,323,149,302,307,504,506 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 01 लाख 83 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया ।

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री दीपक सैनी
विवेचक- उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह
पैरोकार-है0का0 विपिन थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांक 06-12-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-3 जनपद सहारनपुर द्वारा गाली गलौच जान से मारने की धमकी देने, मारपीट कर गैर इरादतन हत्या के मुकदमें में 04 अभियुक्तो को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 01 लाख 64 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा -

अवगत कराना है, कि वादी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. गुलशेर पुत्र महमूद हसन, 2. नूरमोहम्मद पुत्र बाबू हसन, 3. नूर हसन पुत्र बाबू हसन व 4. कल्लू पुत्र बाबू हसन नि0गण खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के साथ मारपीट परिवाद मा0न्यायालय मे धारा 147,148,149,323,324,308,504,506 भादवि मे पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-223/2016 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-3 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 जनपद सहारनपुर द्वारा ***आज दिनांक 06.12.2025 को अभियुक्तगण 1. गुलशेर पुत्र महमूद हसन, 2. नूर मोहम्मद पुत्र बाबू हसन, 3. नूर हसन पुत्र बाबू हसन व 4. कल्लू पुत्र बाबू हसन नि0गण खेडा मुगल थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को वाद सं0-223/2016 धारा 147,148, 149,323,324,308,504,506 भादवि में दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कठोर कारावास व 01 लाख 64 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित*** *किया गया।*

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री दीपक सैनी
विवेचक- उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह
पैरोकार-है0का0 विपिन थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांक- 06.12.2025

-प्रेस नोट-

“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही □

थाना नकुड़ पुलिस टीम का नशा तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 270 ग्राम अवैध स्मैक (जिसकी अनुमानित कीमत करीब 65 लाख रूपये) बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है ।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **“आपरेशन सवेरा”** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त शराफत पुत्र नाजिम निवासी मौहल्ला इमामियान कस्बा अम्बेहटा पीर थाना नकुड सहारनपुर** को अंबेहटापीर बिजलीघर के बराबर से मौहल्ला कोटला जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे 270 ग्राम अवैध स्मैक बरामद । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर **मु0अ0सं0 568/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहा है ।

अभियुक्त का नाम व पताः-

शराफत पुत्र नाजिम निवासी मौहल्ला इमामियान कस्बा अम्बेहटा पीर थाना नकुड सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

270 ग्राम अवैध स्मैक

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 105/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड सहारनपुर,
2. मु0अ0सं0 229/24 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड सहारनपुर,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
2. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
3. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
4. है0का0 643 दीपक कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
5. है0का0 650 वरणकार सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

दिनांक 06.12.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 262 ग्राम स्मैक (कीमत करीब 52,40,000 रू0/-) व 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन सवेरा" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 06/12/2025 को गस्त व चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **महताब पुत्र हमीद नि0 ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर** को पशु पैठ मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से कुल 262 ग्राम अवैध स्मैक व 01 मोटर साईकिल बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 582/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त महताब के मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

महताब पुत्र हमीद नि0 ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- 262 ग्राम अवैध स्मैक
- 01 मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 392/23 धारा 8/21/37/60 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 258 अजीत मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. हे0का0 1013 राहुल थाना गगोह जनपद सहारनपुर।
4. कां0 126 सविन कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
5. कां0 326 रिंकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 06.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर पुलिस द्वारा साइबर फ्राड के माध्यम से पीडित के खाते से ठगी गयी कुल 42,960/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीड़ित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरण:-

दिनांक 13.07.2025 को वादिया समर जहाँ पुत्री जमील अहमद निवासी मौहल्ला- बहाउद्दीन थाना गंगोह, सहारनपुर द्वारा थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर पर उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर दी जिसके अनुसार साइबर ठग द्वारा फर्जी समाजसेवी बन 05 लाख डॉलर धनराशि देने का झांसा देकर वादिया से उक्त धनराशि के टैक्स के रुप में रु0 42,960 /- अपने खातों में डलवा लिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 27/2025 अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2) बीएनएस, 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्रवाई:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम/जागरूता व साइबर फ्राड के माध्यम से ठगी गयी धनराशि को पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु लगातार अभियान चलकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम एवं पुलिस उपाधीक्षक, साइबर क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम श्री संजय कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए वादिया समर जहाँ पुत्री जमील अहमद निवासी मौहल्ला- बहाउद्दीन थाना गंगोह, सहारनपुर द्वारा थाना साइबर क्राइम, सहारनपुर के खाते से ठगी गयी कुल 42,960/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि को सम्बंधित बैंक से समन्वय स्थापित कर पीड़ित के खाते में वापस करा दिया गया है।

धनराशि वापस कराने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
2. निरीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 712 निशान्त तोमर, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
4. म0है0कां0 189 रुचि शर्मा, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
5. कां0 99 अरुण कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
6. कां0 710 राकेश कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।
7. म0कां० 1869 रुपा, थाना साइबर क्राइम, जनपद सहारनपुर।

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

दिनांकः 06.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 135 फ्रूटी/पव्वे देशी शराब महबूबा उ0प्र0 मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 05.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान ***01 शराब तस्कर अभियुक्त शुभम पुत्र श्यामलाल उर्फ मांघी निवासी ग्राम पिलखनी थाना सरसावा जिला सहारनपुर*** *को ग्राम पिलखनी अडडे के पास घौसीपुरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से* ***135 फ्रूटी/पव्वे देशी शराब महबूबा उ0प्र0 मार्का*** *बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 523/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शुभम पुत्र श्यामलाल उर्फ मांघी नि0 ग्राम पिलखनी थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

135 फ्रूटी/पव्वे देशी शराब महबूबा यूपी मार्का

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. *श्री संजीव कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 देवेन्द्र अधाना थाना सरसावा सहारनुर*
3. *हैका0 632 उत्तम राठी थाना सरसावा सहारनपुर।*
4. *है0का0 845 तेजिंदर सिंह थाना सरसावा सहारनपुर।*
5. *है0का0 361 मनोज कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।*

दिनांक: 06.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना सदर बाजार टीम द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 02.12.2025 को वादी श्री गोविन्द कुमार पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम पिलखनी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटरसाइकिल यू0पी0 11डीए 7204 को चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 719/2025 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी, नकबजनी, लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 06.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 वांछित अभियुक्त मोनू पुत्र अतर सिहं निवासी हसनपुर चूंगी अम्बेडकर वाली गली थाना सदर बाजार जनपद सहारपुर** को चोरी गयी मोटरसाइकिल यूपी11डीए7204 सहित विनोद विहार के समाने ग्राउण्ड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. मोनू पुत्र अतर सिहं निवासी हसनपुर चूंगी अम्बेडकर वाली गली थाना सदर बाजार जनपद सहारपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 चोरी की मोटरसाइकिल यूपी 11 डीए 7204

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
3. का0 1552 रोहित कुमार थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
4. का0 240 सोनू थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.12.2025

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारन्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे एवं थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.12.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा ***01 वारंटी अभियुक्त पप्पू पुत्र जगपाल नि0 बेहडा खुर्द थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित एनबीडब्लू वाद स0 2200895/19 व मु0अ0स0 138/15 अन्तर्गत धारा 147/323/504/506 भादवि चालानी थाना फतेहपुर में नियत तिथि 10/12/25 चालानी थाना फतेहपुर (माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दितीय जनपद सहारनपुर) में बेहड़ा खुर्द से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभियुक्त पप्पू पुत्र जगपाल निफतेहपुर बेहडा खुर्द थाना 0 जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा फतेहपुर जनपद सहारनपुर

2. उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

3. का0 1983 शमशेर अली थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

दिनांक:06.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना गंगोह पुलिस द्वारा जानलेवा हमले की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनांक 25/10/2025 को वादी श्री शादान पुत्र खालिद नि0 ग्राम रसूलपुर उर्फ बल्ला माजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुरर की लिखित तहरीर बाबत बाबत अभियुक्त गण 1-वकील पुत्र मकसूद 2-नदीम पुत्र वकील 3-शाहनजर पुत्र मकसूद 4-अजमल पुत्र शाहनजर 5-अकमल पुत्र शाहनजर नि0 गण ग्राम रसूलपुर उर्फ बल्लामाजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर द्वारा एक राय होकर वादी के पिता खालिद का रास्ता रोककर गाली गलौच करना व धारदार हथियारो से जान से मारने की नियत से हमला कर गम्भीर रुप से घायल कर देना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई । दाखिला तहरीर के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 484/25 धारा 191(2)/191(3)/190/126(2)/115(2)/352/351(2)/109(1) बी.एन.एस. के पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में धारा 117(2) बी.एन.एस की बढौतरी की गयी .

पुलिस कार्यवाही का विवरणः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे आपराधिक घटनाओ की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त अपराधियों गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06/12/2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त मुकदमे के वांछित अभियुक्त **शाहनजर पुत्र मकसूद निवासी ग्राम रसूलपुर उर्फ बल्ला माजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को बल्लामाजरा मे बने मदरसे के पास से टयूबवेल के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाहनजर पुत्र मकसूद निवासी ग्राम रसूलपुर उर्फ बल्ला माजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सोनू उर्फ खडकू

मु0अ0स0 156/25 धारा 191(2)/115(2)/351(2)/352/109(1) बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 श्री अमितु कमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 शुभम शर्मा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांकः- 06.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना मण्डी मिशन शक्ति एण्टीरोमियो टीम द्वारा मात्र 01 घण्टे में गुमशुदा 05 वर्षीय बच्चे को सकुशल तलाश कर परिजनों के सुपुर्द किया गया

घटना का विवरणः-

दिनांक 06.12.25 को समय करीब 13.30 बजे वादी अलीशान पुत्र फैजान अहमद निवासी कम्बोह कटहरा यतीमखाना थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ने थाना हाजा उपस्थित आकर अवगत कराया कि मेरा पुत्र अर्शलान उम्र करीब 05 वर्ष हमारे मौहल्ले मे खेलते हुए कही गुम हो गया है।

पुलिस कार्यवाही का विवरणः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन मुस्कान के अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मात्र 01 घण्टे मे गुमशुदा बच्चे अर्शलान को बेहट अड्डा थाना मण्डी क्षेत्र से तलाश कर नियमानुसार उसके परिजनो की सुपुर्दगी में दिया गया।

मिशन शक्ति एण्टीरोमियों टीम-

1. निरीक्षक श्री सिराजुद्दीन थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 समीर कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 प्रमोद शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. म0उ0नि0 प्रीति थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. है0का0 539 निवेश कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक: **06-12-2025**

-प्रेस नोट-

अवैध खनन पर रोकथाम लगाते हुए थाना बेहट पुलिस द्वारा राजस्व टीम के साथ कार्यवाही करते हुए कुल 10 वाहनों को पकडा गया।

अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन तथा खनन से सम्बन्धित अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है।

आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में राजस्व टीम के साथ प्रभावी चैकिंग अभियान चलाते हुए थाना बेहट पुलिस द्वारा अवैध खनन परिवहन में लिप्त कुल 10 वाहनो को पकडा गया है। वाहनों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिये खनन विभाग व उच्चाधिकारीगण को रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। विवरण निम्नवत है।

पकडे गये वाहनों का विवरण

1 - ट्रक संख्या HR 58D 8701
2- ट्रक संख्या HR 58E4930
3- ट्रक संख्या HR 58E3986
4- ट्रक संख्या HR 73A7557
5- ट्रक संख्या UP11CT3132
6- ट्रक संख्या UP17AT4396
7- ट्रक संख्या- HR58E4995
8- ट्रक संख्या- HR58C0995
9- ट्रक संख्या- HR58E1954
10- ट्रक संख्या- HR58E5607

दिनांक: **06-12-2025**

-प्रेस नोट-

अवैध खनन पर रोकथाम लगाते हुए थाना बेहट पुलिस द्वारा राजस्व टीम के साथ कार्यवाही करते हुए कुल 10 वाहनों को पकडा गया ।

अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन तथा खनन से सम्बन्धित अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है ।

आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में राजस्व टीम के साथ प्रभावी चैकिंग अभियान चलाते हुए थाना बेहट पुलिस द्वारा अवैध खनन परिवहन में लिप्त कुल 10 वाहनो को पकडा गया है । वाहनों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिये खनन विभाग व उच्चाधिकारीगण को रिपोर्ट प्रेषित की गयी है । विवरण निम्नवत है ।

पकडे गये वाहनों का विवरण

1 - ट्रक संख्या HR 58D 8701
2- ट्रक संख्या HR 58E4930
3- ट्रक संख्या HR 58E3986
4- ट्रक संख्या HR 73A7557
5- ट्रक संख्या UP11CT3132
6- ट्रक संख्या UP17AT4396
7- ट्रक संख्या- HR58E4995
8- ट्रक संख्या- HR58C0995
9- ट्रक संख्या- HR58E1954
10- ट्रक संख्या- HR58E5607

दिनांक: **06-12-2025**

-प्रेस नोट-

थाना मिर्जापुर पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के 03 अभियुक्तगण द्वारा मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में में अवैध खनन तथा खनन से सम्बन्धित अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों की रोकथाम तथा अवैध खनन तथा अवैध खनन परिवहन में लिप्त अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु अभियान चलाया जा रहा है। आदेश के अनुपालन में थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पर मु0अ0सं0- 245/25 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम अनसर पुत्र इस्लाम आदि 11 पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक बेहट के सुपुर्द हुई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा संज्ञान लेते हुए अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक बेहट को आदेश-निर्देश दिये गये थे *। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में टीम का गठन किया गया तथा टीम द्वारा अभियुक्तगण की गिफ्तारी हेतु लगातार दबिशें दी गयी। जिस कारण गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तगण द्वारा मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) के समक्ष आत्मसर्पण किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को जेल भेजा गया। अभियुक्तगण के कथन अंकित कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। विवरण निम्नवत है –*

अभियुक्तों का विवरणः-

1- अनसर पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम अमादपुर थाना मिर्जापुर, सहारनपुर।

2- सादिक पुत्र इरशाद नि0 ग्राम अमादपुर थाना मिर्जापुर, सहारनपुर।

3- बिलाल पुत्र नाजिम नि0 ग्राम अमादपुर थाना मिर्जापुर, सहारनपुर।

दिनांक: **06-12-2025**

-प्रेस नोट-

थाना बेहट पुलिस द्वारा अवैध खनन पर रोकथाम लगाते हुए अवैध खनन परिवहन में संलिप्त वाहन व स्टोन क्रैशर मालिकों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किये गये।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनाँक 06.12.2025 को प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री द्वारा बरौली चौराहे पर चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान धौलाकुआ की तरफ से आते हुए ट्रक को चैकिंग हेतु रोका गया तो उक्त ट्रक संख्या HR58E1210 में खनन सामग्री (गिट्टी) भरी थी । गाडी के चालक नदीम पुत्र रिजवान नि0 ग्राम ताल्हापुर थाना बिहारीगढ सहारनपुर से खनन सामग्री के कागज माँगे गये तो दिखाने से कासिर रहा। ट्रक चालक व अवैध खनन परिवहन में लिप्त स्टोन क्रैशर के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान खान निरीक्षक व श्रीमान उपजिलाधिकारी बेहट, सहारनपुर को रिपोर्ट प्रेषित की गयी । रिपोर्ट के आधार पर खान निरीक्षक, खनन विभाग जिलाधिकारी कार्यालय सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर अवैध खनन परिवहन में लिप्त वाहन संख्या HR58E1210 के चालक व अवैध खनन परिवहन में लिप्त स्टोन क्रैशर के विरूद्ध तथा यमुना नदी में अवैध खनन कर आर0बी0एम0 का परिवहन कर रहे अभियुक्तों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया। प्राप्त तहरीर पर थाना बेहट पर निम्नलिखित अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

1- मु0अ0सं0- 615 /25 धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस व 3(2) पीपीडी एक्ट व 4/21 खान व खनन अधिनियम बनाम ट्रक संख्या HR58E1210 का चालक, स्वामी व अवैध परिवहन में लिप्त स्टोन क्रैशर

2- मु0अ0सं0- 616/25 धारा-303(2)/317(2) बीएनएस व 3(2) पीपीडी एक्ट व 4/21 खान व खनन अधिनियम बनाम यमुना नदी में अवैध खनन परिवहन में लिप्त अभियुक्तगण व स्टोन क्रैशर

दिनांक 06.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना सरसावा पुलिस द्वारा घर में अनैतिक देह व्यापार का संचालन करने वाली महिला सरगना सहित कुल 05 अभियुक्तों व 04 अभियुक्ताओं को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अनैतिक देह व्यापार मे संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध चलाये गये अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण में तथा थाना प्रभारी सरसावा श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 05.12.2025 को 05 अभियुक्तगण व 04 महिला अभियुक्तओं को मौ0 पूर्वी अफगानान कस्बा सरसावा से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 24,400/- रूपये व कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुयी । जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 524/2025 धारा 3/4/5/6/7/8 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

बरामदगी का विवरण:-

- *24,400 रूपये नगद*
- *कुछ आपत्तिजनक सामग्री*
- *03 मोटर साईकिल सीज धारा 207 एमवीएक्ट*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. रुचि गुप्ता श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड सहारनपुर
2. श्री विजय कुमार, नायब तहसीलदार नकुड सहारनपुर
3. श्री संजीव कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना सरसावा
4. व0उ0नि0 विजेन्द्र सिंह थाना सरसावा सहारनपुर
5. म0उ0नि0 नेहा उपाध्याय थाना सरसावा सहारनपुर
6. म0उ0नि0 अन्नू परिहार थाना सरसावा सहारनपुर
7. म0का0 2123 सरिता थाना सरसावा सहारनपुर
8. म0का0 1451 विनीता थाना सरसावा सहारनपुर
9. म0का0 1450 अलका थाना सरसावा सहारनपुर
10. म0का0 997 दीपा थाना सरसावा सहारनपुर
11. म0का0 565 सुनीता थाना सरसावा सहारनपुर
12. का0 1996 मोहित थाना सरसावा सहारनपुर
13. हैका0 661 सम्राट थाना सरसावा सहारनपुर
14. का0 1997 विनीत कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
15. का0 1259 विनीत कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
16. है0का0 986 अमित कुमार थाना सरसावा सहारनपुर

दिनांकः- 06.12.2025

-प्रेस नोट-

□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर का R Studios आर्ट एग्ज़िबिशन में विशेष भ्रमण — कला के माध्यम से नशा-मुक्ति व सुरक्षा संदेश प्रसारित करने पर महत्वपूर्ण चर्चा की गयी □

आर्टिस्ट श्री आशीष मोंगा ने अपने पैतृक हेरिटेज निवास, ग्राम पूर्वी अफगान, सरसावा, को R Studios में परिवर्तित करते हुए इस अनोखी प्रदर्शनी की शुरुआत की।

कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर श्री आशीष तिवारी जी ने शिरकत की और प्रदर्शनी की सराहना की।

इस एग्ज़िबिशन का मुख्य आकर्षण रहीं स्विट्ज़रलैंड से आमंत्रित दो अंतरराष्ट्रीय महिला कलाकार — हेइडी कैलासवुरी एवं मैडेलीन बैकेट्टा बौगलस।
दोनों कलाकार सरसावा और आसपास के क्षेत्रों में कुछ सप्ताह रहकर स्थानीय संस्कृति, प्रकृति और जीवनशैली को अपने कैनवास पर उकेरेंगी।

इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा कलाकारो के साथ चर्चा की गयी कि
1. कैसे आर्ट के माध्यम से नशा-मुक्ति का संदेश आमजन तक प्रभावशाली तरीके से पहुँचाया जाए।
2. पुलिस द्वारा संचालित ड्रग-अवेयरनेस कैंपेन को कलात्मक रूप देकर समाज में जागरूकता बढ़ाई जाए।
3. शहर के अर्बन अपग्रेडेशन, सुरक्षा तंत्र एवं कानून-व्यवस्था को और मज़बूत करने हेतु पब्लिक–पुलिस–आर्ट साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाए।

□ इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने कलाकारों को प्रेरित किया कि कला आमजन के मन तक पहुँचने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है

दिनांकः- 06.12.2025

-प्रेस नोट-

*□ ऑपरेशन सवेरा के तहत जागरूकता एवं नशा-मुक्ति संकल्प अभियान □*

➡□आज दिनांक 06.12.2025 को श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक रेन्ज सहारनपुर द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन सवेरा अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नकुड सुश्री रूचि गुप्ता तथा थाना प्रभारी नकुड द्वारा थाना क्षेत्र नकुड के ग्राम घाटमपुर एवं ग्राम नबाजपुर में भव्य चौपाल का आयोजन किया गया।

➡□इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, युवाओं एवं स्थानीय प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अधिकारियों द्वारा उपस्थित जनसमूह को ऑपरेशन सवेरा के उद्देश्यों, नशे के बढ़ते प्रभाव, उसके सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

➡□जागरूकता कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि किस प्रकार नशा न केवल व्यक्ति की प्रगति को रोकता है, बल्कि समाज में अपराध, हिंसा एवं परिवारिक विघटन को भी बढ़ावा देता है। लोगों को नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार, दोस्तों और गांव-समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।

➡□चौपाल में उपस्थित समस्त लोगों ने समाज को नशा-मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प लिया और पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा अभियान को पूर्ण सहयोग देने की शपथ ग्रहण की।

दिनांकः- 06.12.2025

-प्रेस नोट-

*🚨🚨 ऑपरेशन सवेरा : नशा-मुक्त समाज की ओर प्रेरक पहल 🚨🚨*

*➡️आज दिनांक 06.12.2025 को श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक रेन्ज सहारनपुर द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन सवेरा अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के कुशल निर्देशन कस्बा गंगोह में एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें क्षेत्राधिकारी गंगोह श्री अशोक सिसोदिया, निरीक्षक थाना गंगोह श्री उम्मेद सिंह, निरीक्षक अभिसूचना इकाई द्वारा स्थानीय नागरिकों के साथ चौपाल लगाकर ऑपरेशन सवेरा के तहत नशा-मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया।*

*🔹 अधिकारियों ने लोगों को नशे के दुष्परिणाम, परिवार व समाज पर उसके नकारात्मक प्रभाव तथा नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी दी।*

*🔹 लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि नशा केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है—इससे युवाओं का भविष्य, परिवार की खुशियाँ और समाज की शांति खतरे में पड़ती है।*

*➡️कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी नागरिकों ने उत्साहपूर्वक “नशा-मुक्त समाज बनाने” की सामूहिक शपथ ग्रहण की और पुलिस अभियान को पूरा सहयोग देने का संकल्प लिया।*

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 06.12.2025

*➡️□थाना फतेहपुर एण्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान-5.0 व साइबर सुरक्षा से जागरूक किया गया।*

➡️□थाना फतेहपुर, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत थाना अध्यक्ष विनय शर्मा के नेतृत्व में एंटी रोमियो टीम एवं मिशन शक्ति टीम (L/C प्रीति चौधरी, L/C नीरज) द्वारा महिला बीट क्षेत्र, कस्बा छुटमलपुर, पंजाबी मार्केट, सब्जी मंडी, रुड़की रोड, देहरादून रोड, सर्राफा बाजार, झण्डा तिराहा व ज्योति किरण तिराहा पर जाकर बालिकाओं व महिलाओं को तीन नए कानून B.N.S., B.N.S.S. एवं B.S.A. के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाएँ—विधवा पेंशन, सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएँ, बाल मजदूरी न कराने व Good Touch–Bad Touch की जानकारी भी प्रदान की गई। □□□

➡️□महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 वूमेन पावर, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1930 साइबर अपराध, 108 एंबुलेंस सेवा, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा आदि के बारे में जागरूक किया गया। □□ इसके अतिरिक्त डिजिटल सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें साइबर फ्रॉड, फ्रॉड कॉल, अनचाहे लिंक, डिजिटल अरेस्ट जैसी ऑनलाइन ठगी की तकनीकों से बचने के उपाय बताए गए तथा तीनों नए कानूनों की प्रक्रिया व महिला अधिकारों पर विस्तृत जानकारी दी गई। □♀□□

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 06.12.2025

*□ मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत थाना नागल पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया गया □*

➡□थाना नागल, जनपद सहारनपुर में महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत एंटी रोमियो टीम थाना नागल द्वारा क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं—विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएँ, बाल मजदूरी न कराने के प्रावधान तथा गुड टच – बैड टच जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जागरूक किया गया।

➡□कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे—1090 वूमेन पावर लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस सेवा तथा 112 पुलिस आपातकालीन सेवा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

➡□इस जागरूकता कार्यक्रम में महिला कांस्टेबल ज्योति एवं महिला कांस्टेबल म0है0का0 संगीता ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए उपस्थित महिलाओं की समस्याएँ सुनीं और समाधान हेतु आवश्यक सुझाव दिए। साथ ही महिलाओं व बालिकाओं में जागरूकता फैलाने हेतु पेम्पलेट भी वितरित किए गए।

➡□थाना नागल पुलिस द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा भावना बढ़ाना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा समाज में महिला सम्मान और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 06.12.2025

*□ थाना बेहट पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित □*

*➡□आज दिनांक 06/12/2025 को थाना बेहट, जनपद सहारनपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा बाजारों एवं ग्राम क्षेत्रों में जाकर महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के संबंध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान महिला कांस्टेबल ललिता एवं पीआरडी गीता द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई तथा उनकी समस्याओं को भी सुना गया।*

*➡□कार्यक्रम में सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं—विधवा पेंशन, सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएँ, बाल मजदूरी न कराने के प्रावधान, तथा गुड टच – बैड टच के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही महिलाओं को महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों 1090 वूमेन पावर, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1930 साइबर अपराध, 108 एंबुलेंस, एवं 112 पुलिस आपातकालीन सेवा के उपयोग के प्रति भी जागरूक किया गया।*

*➡□साइबर सुरक्षा के तहत उन्हें डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फ्रॉड कॉल, अनचाहे लिंक पर क्लिक न करने जैसी आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी गई तथा साइबर अपराधों से बचने के उपाय बताए गए।*

*➡□इसके अतिरिक्त टीम द्वारा क्षेत्र में चेकिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई एवं उन्हें आवश्यक हिदायतें दी गई। थाना बेहट पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और साइबर जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।*

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 06.12.2025

*□ थाना गंगोह पुलिस द्वारा मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं व महिलाओं को जागरूक किया गया □*

*➡□आज दिनांक 06/12/2025 को थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर में एंटी-रोमियो टीम—उप निरीक्षक वर्षा कुशवाह, महिला हेड कांस्टेबल बबीता, महिला पीआरडी आदेशना तथा चालक रवीश राणा द्वारा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों जैसे राजीव मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जगन्नाथ पब्लिक स्कूल, गीताज्ञान पब्लिक स्कूल, नामदेव पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल, आईपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आदि में जाकर छात्राओं को सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति के बारे में जागरूक किया गया। टीम द्वारा ननौता चौक, ननौता रोड, शिवचौक, बालाजी रोड, बालाजी मंदिर, मीनाबाजार, मेन बाजार, सब्जी मंडी, तीतरों अड्डा, गंगोह बाईपास तथा थाना क्षेत्र के अन्य बाजारों में मौजूद महिलाओं व बालिकाओं से भी संवाद किया गया।*

*➡□अभियान के दौरान बालिकाओं को डिजिटल अरेस्टिंग, महिला सशक्तिकरण, बच्चों के लिए संचालित कार्यक्रमों, तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उनके अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से जागरूक किया गया।*

*➡□टीम द्वारा साइबर फ्रॉड एवं साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्कता बरतने, संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक न करने, ओटीपी या बैंकिंग जानकारी साझा न करने जैसी सावधानियाँ भी बताई गईं। महिलाओं को 1090 वूमेन पावर लाइन, 1930 साइबर अपराध, 108 एंबुलेंस, और 112 पुलिस आपातकालीन सेवा जैसे जरूरी हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग के बारे में भी बताया गया।*

*➡□इसके साथ ही बाजार क्षेत्र में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले नागरिकों को सुरक्षा हेतु हेलमेट पहनने की हिदायत दी गई तथा यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया गया।*

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 06.12.2025

*□ थाना सरसावा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया □*

*➡□आज दिनांक 06/12/2025 को थाना सरसावा, जनपद सहारनपुर में थाना प्रभारी सरसावा संजीव कुमार के नेतृत्व में एंटी रोमियो टीम द्वारा CHC सरसावा, कस्बा सरसावा बाजार, ऑटो बस स्टैंड, चिलकाना तिराहा, मेन बाजार, पालिका बाजार, शिव चौक, मोहल्ला हजारा, मोहल्ला हरिजनान तथा पूर्वी अफगानान बाजार क्षेत्रों में भ्रमण कर आने-जाने वाली महिलाओं को महिला स्वावलंबन एवं सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत जागरूक किया गया।*

*➡□अभियान के दौरान महिलाओं व बालिकाओं को सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं—विधवा पेंशन, सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएँ, बाल मजदूरी न कराने, तथा गुड टच – बैड टच जैसे महत्वूपर्ण विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर—1090 वूमेन पावर, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1930 साइबर अपराध, 108 एंबुलेंस सेवा, तथा 112 पुलिस आपातकालीन सेवा के उपयोग के प्रति भी जागरूक किया गया।*

*➡□टीम द्वारा डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फ्रॉड कॉल, अनचाहे लिंक पर क्लिक न करने जैसी साइबर सुरक्षा संबंधी एहतियातों की जानकारी भी प्रदान की गई। साथ ही क्षेत्र में नो हेलमेट–नो फ्यूल अभियान के बारे में भी बताया गया और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।*

*➡□कार्यक्रम के अंत में महिलाओं व बालिकाओं में जागरूकता बढ़ाने हेतु पंपलेट वितरित किए गए। थाना सरसावा पुलिस का यह प्रयास समाज में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।*

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 06.12.2025

*□ थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित □*

* ➡□आज दिनांक 06/12/2025 को थाना बिहारीगढ़, जनपद सहारनपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा क्षेत्र के स्कूलों, बैंकों, बाजारों एवं ग्रामों में जाकर महिला चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल के माध्यम से मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की गईं। इस कार्यक्रम का नेतृत्व उपनिरीक्षक अक्षिता सिंह, महिला पीआरडी संगीता, तथा पीआरडी राज किरण द्वारा किया गया।*

* ➡□टीम ने महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं—विधवा पेंशन, सुमंगला योजना, बाल कल्याण योजनाएँ, बाल मजदूरी न कराने, तथा गुड टच – बैड टच जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जागरूक किया तथा उनकी समस्याओं को भी सुना। साथ ही उन्हें विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों—1090 वूमेन पावर, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1930 साइबर अपराध, 108 एंबुलेंस सेवा, तथा 112 पुलिस आपातकालीन सेवा के उपयोग के प्रति भी जानकारी दी गई।*

* ➡□महिलाओं को डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड, फ्रॉड कॉल, तथा अनचाहे लिंक पर क्लिक न करने जैसी साइबर सुरक्षा संबंधी सावधानियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे वे ऑनलाइन ठगी से स्वयं को सुरक्षित रख सकें।*

-प्रेस नोट-

मिशन शक्ति 5.0

दिनांकः- 06.12.2025

*□ थाना नानौता पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 एवं साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान संचालित □*

*➡□आज दिनांक 06/12/2025 को थाना नानौता, कस्बा ननौता में बाजार, स्कूल, बैंक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को श्रीमान पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक देहात महोदय के कुशल निर्देशन में थाना नानौता की एंटी रोमियो टीम—SI राधा चौहान, LC विनीता, तथा महिला हेड कांस्टेबल परमेश्वरी द्वारा साइबर अपराध सुरक्षा जागरूकता अभियान एवं मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत जागरूक किया गया।*

*➡□अभियान के दौरान महिलाओं को साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, अनचाहे लिंक पर क्लिक न करने, ओटीपी/बैंकिंग जानकारी साझा न करने जैसी महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि वे ऑनलाइन ठगी से स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।*

*➡□साथ ही सरकार द्वारा जारी आवश्यक हेल्पलाइन नंबर—1930 साइबर अपराध, 1090 वूमेन पावर, 112 पुलिस इमरजेंसी सेवा, एवं 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन के उपयोग के बारे में भी बताया गया।*

*अंत में महिलाओं व बालिकाओं में जागरूकता बढ़ाने हेतु पंपलेट वितरित किए गए। थाना नानौता पुलिस का यह प्रयास महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।*